भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2551

(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण सुविधा

2551. डॉ. राजेश मिश्राः

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री पी. सी. मोहन:

श्री भोजराज नाग:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री नव चरण माझी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों द्वारा स्वयंसहायता समूहों को वितरित ऋणों का ब्यौरा क्या है और आज तक ऋणों की बकाया राशि कितनी है;

(ख) शहडोल लोक सभा क्षेत्र में लाभान्वित स्वयं-सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ग) ग्रामीण गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक राज्य-वार , विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ग्रामीण गरीबों तक ऋण पहुँच बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु बैकों को क्या अनुदेश जारी किए गए है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा क्षेत्र सहित राज्यवार स्वयं-सहायता समूहों को वितरित और प्रदत्त बैंक ऋणों की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरुआत से अब तक बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित संचयी ऋण 11,07,479.60 करोड़ रुपये है और ऋण की बकाया राशि 2,99,833.35 करोड़ रुपये है।

(ख) शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 22,632 महिला स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं/जिनके पास वर्तमान में ऋण बकाया है।

(ग) ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने और इसमें वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. मिशन कई कार्यशालाओं , परामर्श मंचों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से रणनीतिक और परिचालन स्तर पर वित्तीय नियामकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल हैं: -

i. मंत्रालय के अनुरोध पर , भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/निजी बैंकों और लघु वित्त पोषण बैंकों के लिए हर साल महिला स्वयं सहायता समूहों पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया जाता है। इसी प्रकार का परिपत्र राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों के लिए जारी किया जाता है।

ii. प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में बैंकों , भारतीय रिजर्व बैंक , नाबार्ड और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

iii. एसएचजी बैंक लिंकेज पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/निजी बैंकों/आरआरबी , सहकारी बैंकों और एसआरएलएम के अध्यक्षों के साथ समय-समय पर परामर्श बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iv. ऋण आवेदनों को आसानी से जमा करने के लिए , जिसमें समीक्षा, सुधार और अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है, जिला स्तर पर समर्पित कर्मचारी तैनात किए गए हैं , साथ ही शाखा स्तर पर बैंक सखियाँ भी तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ऋणों की नियमित अदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र (सीबीआरएम) की स्थापना की गई है।

v. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)-बैंक लिंकेज की प्रगति की निगरानी और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंक ऋण के पुनर्भुगतान पर नज़र रखने के लिए , एक समर्पित पोर्टल "एनआरएलएम एसएचजी-बैंक लिंकेज पोर्टल" (banklinkage.lokos.in) बनाया गया है। यह पोर्टल अपना सारा डेटा सीधे बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से प्राप्त करता है। स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने वाले सभी बैंक मासिक आधार पर पोर्टल के साथ डेटा साझा कर रहे हैं।

vi. बैंकरों को उनकी क्षमता निर्माण और योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण प्रदान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं::

i. ऋण लिंकेज के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक हर साल आयोजित की जाती है। एसएचजी-बैंक लिंकेज पर बैंकों के साथ परामर्श बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

ii. बैंकर्स को एसएचजी बैंक लिंकेज के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अद्यतन करने के लिए हर साल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और बैंक सखी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1,536 बैंकर्स/शाखा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

iii. शाखा में समुदाय आधारित वसूली तंत्र सक्रिय किया गया है जो ऋण लिंकेज और ऋण अदायगी को सुगम बनाता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सभी बैंकों की शाखाओं में 1,482 बैंक सखियाँ तैनात की गई हैं।

घ) ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रियायती ब्याज दर पर डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करते हैं:

i. इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।
ii. इस योजना के तहत 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए , बैंक अपने 1 वर्ष के एमसीएलआर या किसी अन्य बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर या 10% प्रति वर्ष, जो भी कम हो, के बराबर ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण के लिए विस्तृत निर्देशों वाला मास्टर परिपत्र जारी किया है और आरबीआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र की प्रति नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=12806

और नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्र नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.nabard.org/CircularPage.aspx?cid=504&id=17459.

ङ) मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का वर्तमान प्रतिशत 4.30% है। महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋणों के एनपीए प्रतिशत का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

"महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	दिनांक 01.08.2025 तक एनपीए का %
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.18
2	आंध्र प्रदेश	0.48
3	अरुणाचल प्रदेश	2.74
4	असम	0.95
5	बिहार	1.6
6	छत्तीसगढ़	2.47
7	गोवा	2.04
8	गुजरात	4.3
9	हरियाणा	7.88
10	हिमाचल प्रदेश	1.91
11	जम्मू एवं कश्मीर	1.31
12	झारखंड	0.96
13	कर्नाटक	2.79
14	केरल	3.53
15	लद्दाख	0
16	लक्षद्वीप	0
17	मध्य प्रदेश	2.35
18	महाराष्ट्र	2.78
19	मणिपुर	4.7
20	मेघालय	5.75
21	मिजोरम	4.83
22	नागालैंड	2.27
23	ओडिशा	1.36
24	पुदुचेरी	5.2

25	पंजाब	11.62
26	राजस्थान	2.83
27	सिक्किम	0.49
28	तमिलनाडु	4.16
29	तेलंगाना	2.27
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3.49
31	त्रिपुरा	1.78
32	उत्तर प्रदेश	2.6
33	उत्तराखंड	3.22
34	पश्चिम बंगाल	1.26
35	अन्य	0.43
	कुल	**1.76**

*****